इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.io से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल 2022-चैत्र 23, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2022

क्रमांक एफ ए 3—04/2022/1/पांच (23): मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे माल की अंतःराज्यीय पूर्ति को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पूर्वोक्त सारणी के कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तो के अधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने राज्य कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के कॉलम (4) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है:—

सारणी

| क्रमांक | टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय | विवरण | दर | शर्त |
|---------|---|--|-----|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 6815 | पलाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स | 3% | 1 |
| 2. | 6901 00 10 | सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे | 3% | 1 |
| 3. | 6904 10 00 | निर्माणी ईटे | 3% | 1 |
| 4. | 6905 10 00 | फर्श की या छत की टाइले | 3% | 1 |

- (i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहा तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

जपाबंध

| शर्त संख्या | शर्त |
|----------------|---|
| 1 | (क) माल की पूर्ति में अनन्य रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है; और (ख) माल की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को भागतः प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल की पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 17 की उपाबंध लागू होते। |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2022

क्र. एफ ए—3—04—2022—1—पांच .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए—3—04—2022—1—पांच (23), दिनांक 13 अप्रैल, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 13th April 2022

No. F A 3-04/2022/1/V(23): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, from so much State tax leviable thereon under section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in corresponding entry in column (4) of the said Table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table:

Table

| S. No. | Tariff item, subheading, heading or Chapter | Description | Rate | Condition No. |
|-----------|---|---|------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 6815 | Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks | 3% | 1 |
| 2. | 6901 00 10 | Bricks of fossil meals or similar siliceous earths | 3% | 1 |
| 3. | 6904 10 00 | Building bricks | 3% | 1 |
| 4. | 6905 10 00 | Earthen or roofing tiles | 3% | 11 |

Explanation.-

- (i) For the purpose of this notification, "Tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), Including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so for as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

| Condition No. | Condition |
|---------------|---|
| 1. | (a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken; and (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017(19 of 2017) and the rules made there under. |

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R.P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.